

PI-211-6L-11-94

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

V-190/CR.J.(e)

In the court of.....

Case No. 11-2/18

Class.....  
Complaint or report made on.....

Name and address of the Complainant.....

Name, parentage, caste and address of accused

विजेन्द्र सिंह १० सुल्तान गढ़ रोड

The offence complained of its alleged commission.

आपने दिनांक 21-5-18 को समय 21.00 बजे स्थान हनुमानगढ़

पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के 21.05.18 को अपने आधिपत्य में रखा जो मोप्रो आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

अपराध स्वीकार है। विचारण नहीं चाहता।

विजेन्द्र सिंह

The Offence proved, if any and in case clause(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.



(आज दिनांक 5-6-18 को घोषित)

- निर्णय खुले न्यायालय में हस्ता० व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला गिण्ड

गेरे निर्देश पर टाईप किया

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड